न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2021/15

1. सत्यनारायण पुत्र देवीसहाय, जाति मेघवाल निवासी ग्राम खोहरी तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा हाल आबाद मॉ सन्तोषी ग्रिट उघोग पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, कुतुबपुर, रेवाडी हरियाणा।

—अपीलांट

बनाम

1. सन्तरा बेवा रामप्रसाद जाति चमार निवासी इन्दौर तहसील तिजारा जिला अलवर।
2. तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर।

— रेस्पोडेन्ट्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर अलवर दिनांक 22.11.2003

उपस्थित—

1. श्री विजय सिंह राठौडवकील अपीलान्ट
2. श्रीचन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्तारेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —16.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टरअलवरके निर्णय दिनांक 22.11.2003के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा—5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम इन्दौर तहसील तिजारा में स्थित खसरा नम्बर 419/652 रकबा 8 बीघा 2 बीस्वाकी तरमीम के स्थान पर आराजी खसरा नं. 419/653 रकबा 8 बीघा तरमीम कर दी गई है जिसे पुनः पूर्ववर्ती तरमीम के अनुसार दुरूस्त किया जावे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार तिजारा को ग्राम इन्दौर तहसील तिजारा में स्थित खसरा नम्बर 419/652 रकबा 8 बीघा 2 बीस्वाकी पूर्ववर्ती तरमीम को राज0 भू राजस्व (भू अभिलेख) नियमावली 1957 के नियम 60 सपठित नियम 31 के अनुसरणमें नक्शा दुरूस्ती करते हुये पुनः नक्शे में अंकित करने के आदेश दिनांक 22.11.2003 को दिए गये।

3. जिला कलक्टरअलवरके उक्त निर्णय दिनांक 22.11.2003से व्यथित होकर अपीलान्ट सत्यनारायण पुत्र देवीसहायद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर अलवरके निर्णय दिनांक 22.11.2003 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । रेस्पो० संख्या 1 की ओर से कोई उप० नहीं।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम इन्दौर तहसील तिजारा में स्थित खसरा नम्बर 419/653 फकीरा पुत्र कन्हैया के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी जिसको फकीरा ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा मिन अपीलांट को विक्रय कर दी। उक्त बैयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 389 दिनांक 29.07.2003 को स्वीकार किया गया। तब से अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार चला आ रहा है। फकीरा को आवंटन दिनांक 11.02.1974 को किया गया और तत्पश्चात् इन्तकाल संख्या 385 से गैर खातेदारी का अंकन किया गया। इन्तकाल सख्या 385 की पुश्त पर मिन अपीलांट के अलोटशुदा रकबे का खसरा नं. 419 जो कि 40 बीघा का था का तितम्बा काटते हुए दर्शाया गया है। विवादित आराजी की पैमाईश भी रिकॉर्ड के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.08. 2003 को की गई। इस आधार पर अपीलांट खसरा नं. 419/653 पर इन्तकाल संख्या 385 की पुश्त पर बैठा हुआ हैं। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल को नजरअन्दाज करते हुये एवं वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टरअलवर दिनांक 22.11.2003निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् जॉच रिपोर्ट व रिकॉर्ड अवलोकन पश्चात् ही नक्शा दुरूस्ती करते हुये पुनः नक्शे में अंकित करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 16.12.2020 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम इन्दौर तहसील तिजारा में स्थित खसरा नम्बर 419/652 रकबा 8 बीघा 2 बीस्वाकी तरमीम के स्थान पर आराजी खसरा नं. 419/653 रकबा 8 बीघा तरमीम करदिये जाने को लेकर है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी तिजारा से प्राप्त् जॉच रिपोर्ट का अवलोकन कर ही विधिवत् खसरा नम्बर 419/652 रकबा 8 बीघा 2 बीस्वाकी पूर्ववर्ती तरमीम को राज0 भू राजस्व (भू

राजस्व आयुक्त
जयपुर

अभिलेख) नियमावली 1957 के नियम 60 सपठित नियम 31 के अनुसरण में नक्शा दुरूस्ती करते हुये पुनः नक्शे में अंकित करने के अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 22.11.2003 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर